राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme)

राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण की योजना।

कार्यान्वयन अनुदेश
वित्तीय वर्ष 2025–26

यह योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नयी योजना है। 24 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीजों का समुचित भंडारण तथा बीजों की गुणवत्ता बनायें रखने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत 200 मैट्रिक टन क्षमता को गोदाम निर्माण की योजना ली गई है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत 200 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण योजना का दायित्व स्वीकृत्यादेश सं0–PPM 17 दिनांक–05.05.2025 में संलग्न अनुसूची अनुसार द्वारा निर्धारित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप अपने–अपने प्रक्षेत्रों पर कराया जायेगा।

गोदाम निर्माण की प्रक्रियाः–

1. गोदाम निर्माण हेतु जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्माण एजेंसी का चयन संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से कराते हुए निविदा द्वारा योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।
2. संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा गोदाम निर्माण के लिए कार्य आदेश निर्गत के पश्चात स्वीकृत प्राक्कलन एवं मॉडल के अनुसार 5 माह में गोदाम निर्माण पूर्ण करायेगें।
3. गोदाम निर्माण प्रक्षेत्रों में ऐसे स्थान पर कराया जाय जहाँ सभी मौसमों में वाहन के आवागमन की सुविधा हो तथा जल जमाव नहीं होता है तथा प्रक्षेत्र के खेती योग्य रकवा अधिक प्रभावित न हो।
4. गोदाम का उपयोग प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रॉ बीज के भंडारण के लिए किया जायेगा।
5. प्रक्षेत्रों में जिस स्थान पर गोदाम का निर्माण होना है। उस जगह का Geo-tagged फोटो ग्राफ लेना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. अनुमंडलीय प्रक्षेत्र गोदाम निर्माण हेतु जिला कृषि पदाधिकारी सत्यापित मापी पुस्त निर्गत करेगें एवं मापी पुस्त को क्रमांकित करते हुए निर्गत किये गये मापी पुस्त की सूचना एक पृथक पंजी में संधारित करगें तथा जिला प्रक्षेत्रों पर गोदाम निर्माण हेतु संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) सत्यापित मापी पुस्त निर्गत करेगें एवं मापी पुस्त को क्रमांकित करते हुए निर्गत किये गये मापी पुस्त की सूचना एक पृथक पंजी में संधारित करगें।

7. संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करायेगें तथा निर्माण के दौरान समय–समय पर भ्रमण कर सतत तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें। गोदाम निर्माण कार्य के अनुश्रवण एवं मापी तथा ले आउट से लेकर गोदाम निर्माण पूर्ण होने तक गोदाम निर्माण कार्य का अनुश्रवण एवं मापी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8. निर्माण कार्य तकनीकी विष्टियों के अनुरूप होने का सत्यापन जिला/प्रमंडल में पदस्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) करेगें। गोदाम निर्माण कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने स्तर से करेगें एवं इसका प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

9. विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा स्थलीय निरिक्षण का प्रतिवेदन संरक्षित रखेगें ताकि अकेक्षण दल द्वारा माँग किये जाने पर प्रस्तुत किया जा सकें।

10. भौतिक सत्यापन/जाँच की प्रक्रियाँ में यदि ऐसा पाया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गोदाम का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं कराया गया है तो संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

11. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना की धन राशि की परिसीमन/अंतरण/खर्च SNA- SPARSH Module के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना है।

12. योजना कार्यान्वयन एजेंसी–सह–व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला प्रक्षेत्र के लिए जिला कृषि पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय प्रक्षेत्र के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें जो योजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित मद में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जवाबदेह होगें।

G:\FY 2025-26\Godam Yojna\Karnwan Anushesh Godam.docx

Scanned with OKEN Scanner

कार्यान्वयन एजेंसी जिला प्रक्षेत्र के लिए जिला कृषि पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय प्रक्षेत्र के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

13. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा। SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति आदेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

14. गोदाम निर्माण स्थल का अक्षांश–देशांतर के साथ निर्माण पूर्व एवं निर्माण के पश्चात Geo-tagged फोटो ग्राफ लेना अनिवार्य होगा। इसे अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

15. इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी जिला प्रक्षेत्र के लिए जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय प्रक्षेत्र के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी होगें।

16. इस योजना का सर्वोच्च नियंत्रण पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें।

17. प्रसाशी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथा आवश्यक संशोधन/परिर्वतन किया जा सकेगा।

18. स्वीकृति आदेश सं0–पी0पी0एम0 17 दिनांक–05.05.2025 का उल्लेखित बिन्दुओं का अक्षरसः पालन करना सुनिश्चित करेगें।

19. इस कार्यक्रम का Geo-tagged कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निश्चित रूप से किया जायेगा।

पदाधिकारियों का दायित्वः–

जिला कृषि पदाधिकारी :– जिला कृषि पदाधिकारी कार्य प्रारंभ करने के दिन सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगें। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अपनी उपस्थिति में ले आउट तैयार करायेगें। सहायक निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

(कृषि अभियंत्रण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करायेगें तथा निर्माण के दौरान समय–समय पर भ्रमण करेगें सतत तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें तथा किये जा रहे कार्यों का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ लेकर संरक्षित रखेगें। अपने से संबंधित प्रक्षेत्रों पर गुणवत्ता युक्त (विशिष्ट अनुसार) निर्माण कार्य कराने के लिए पुर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी:– अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कार्य प्रारंभ करने के दिन सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) की उपस्थिति अनिवार्य रूप से निश्चित कर लेगें। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अपनी उपस्थिति में ले आउट तैयार करायेगें। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करायेगें तथा निर्माण के दौरान समय–समय पर भ्रमण कर सतत तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें। एवं किये जा रहे कार्यों का विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ लेकर संरक्षित रखेगें। अपने से संबंधित प्रक्षेत्रों पर गुणवत्ता युक्त (विशिष्ट अनुसार) निर्माण कार्य कराने के लिए पुर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र :– अपने क्षेत्राधीन आने वाले प्रक्षेत्रों जिन पर गोदाम निर्माण का कार्य कराये जा रहें है। उन प्रक्षेत्रों का समय–समय पर भ्रमण करेगें, तथा कराये जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगें। प्राक्कलन के अनुरूप कार्य कराये जा रहें है कि नहीं इसका जाँच प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से संयुक्त निदेशक (शष्य) फसल एवं प्रक्षेत्र कृषि निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कराये जा रहें गोदाम निर्माण कार्य का विडियोग्राफ एवं फोटोग्राफ लेकर संरक्षित रखेगें। जाँच प्रतिवेदन मे यह उल्लेख करेगें कि निर्माण कार्य प्राक्कलन के निहित विशिष्टी अनुसार अच्छी गुणवत्ता के अनुसार कराया जा रहा है।

सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) :– सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अपनी उपरिथति में ले आउट तैयार करायेगें। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के तकनीकी पर्यवेक्षण में निर्माण कार्य करायेगें तथा निर्माण के दौरान समय–समय पर भ्रमण कर सतत तकनीकी सहयोग प्रदान करेगें। गोदाम निर्माण कार्य के अनुश्रवण एवं मापी तथा ले आउट से ले कर गोदाम निर्माण पूर्ण होने तक गोदाम निर्माण कार्य की देख–रेख एवं समय–समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करेगें। निर्माण कार्य तकनीकी विष्टियों के अनुरूप होने का सत्यापन जिला/प्रमंडल में पदस्थापित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा किया जयेगा। गोदाम निर्माण कार्यक्रम का अनुश्रवण अपने स्तर से भी करेगें एवं इसका प्रतिवेदन कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) :– गोदाम निर्माण का भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेश्क (शष्य) द्वारा किया जायेगा। गोदाम निर्माण कार्य के अनुश्रवण एवं मापी तथा ले आउट से लेकर गोदाम निर्माण पूर्ण होने तक गोदाम निर्माण कार्य का अनुश्रवण प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) द्वारा भी किया जायेगा।

कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्वः– गोदाम निर्माण का मॉडल प्राक्कलन कार्य स्थल पर उपलब्ध रखेगें ताकि जाँच के क्रम में उच्च पदाधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर दिखा सकें। गोदाम निर्माण की प्राक्कलित राशि 20.24900 लाख रू0 200 MT की क्षमता वाले गोदाम के लिए स्वीकृत है। योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्राक्कलन में निहित विशिष्ट अनुसार अच्छी गुणवत्ता के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगें। इसके लिए इनकी पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें। स्थल पर निम्न सूचना पट लगाया जायेगा।

सूचना पट्ट

निर्मित गोदाम पर बड़े–बड़े अक्षरो में योजना का नाम/स्वीकृत वर्ष/योजना की प्राक्कलित राशि/गोदाम का आकार/योजना प्रारंभ करने की तिथि/विभाग का नाम।

कृषि निदेशक, बिहार,
पटना

ज्ञापांक संख्या– 10/फसल–प्रक्षेत्र–26/2025–3307 /कृ0, पटना, दिनांक 03/07/2025

प्रतिलिपि–सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक अभियंत्रण/सभी जिला पदाधिकरी /संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी /सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/संबंधित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर कृषि विभाग, बिहार पटना को विभाग के वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारीयों तथा कोषागार पदाधिकारीयों को अनुलग्नक के साथ ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार,
पटना

G:\FY 2025-26\Godam Yojna\Karnwan Anushesh Godam.docx

Scanned with OKEN Scanner